

5-47

50

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या- 1842/ग्यारह-2-2007-9(62)/97
लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार को वाणिज्य कर सम्बन्धी मामलों में परामर्श देने हेतु श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सलाहकार समिति का निम्न प्रकार गठन करते हैं:-

- 1- भा0 मंत्री जी, वाणिज्य कर विभाग अध्यक्ष
- 2- प्रमुख सचिव/ सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग सदस्य
- 3- प्रमुख सचिव/ सचिव, औद्योगिक विकास विभाग सदस्य
- 4- प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग सदस्य
- 5- प्रमुख सचिव/ सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन सदस्य
- 6- प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग सदस्य
- 7- निदेशक, उद्योग विभाग सदस्य
- 8- आयुक्त, वाणिज्य कर, 3030 लखनऊ सदस्य संयोजक
- 9- पी0एच0डी0 चैम्बर ऑफ कानर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पी0एच0डी0 हाउस, धारम फ्लोर एशियन गैस बिल्डिंग के सामने, नई दिल्ली के प्रतिनिधि।
- 10- कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज (यू0पी0कमेटी) निराला नगर, लखनऊ के प्रतिनिधि।
- 11- आल इण्डिया गैन्फूकेबलर्स ऑर्गेनाइजेशन(यू0पी0 स्टेट बोर्ड)डी-45 साइट से0-3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद के प्रतिनिधि।
- 12- इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, आई0आई0ए0नवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के प्रतिनिधि।
- 13- मर्येन्ट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, 14/26 सिविल लाइन, कानपुर के प्रतिनिधि।
- 14- अक्का चैम्बर ऑफ कानर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, हरमत राय कृपा देवी ट्रस्ट बिल्डिंग, लखनऊ के प्रतिनिधि।
- 15- श्री रतन कुमार उडन, 189/108 लुकरगंज, इलाहाबाद।
- 16- श्री बिल्लू रैना 'पम्पेड' सी-1083, से0-'ए', महानगर, लखनऊ।
- 17- श्री शंखर कुमार, 320 शक्ति नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 18- डा0 पवन जायसवाल, संगम प्लेस, चैम्बर नं यू0-20, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
- 19- श्री अविनाश चौबे, 110, शिवशोक से0-35 नौबट-201307
- 20- श्री जे0पी0 गुप्ता, 28/49 बिड़ाना रोड, कानपुर-203001
- 21- श्री एस0एस0 बिन्द्रा, 419, डा0 बेजनाथ रोड, न्यू हँटरबाद, लखनऊ।

2/-

(2)

- 22- श्री अनुकूल मिश्रा, 103, सैण्ड मार्क अपार्टमेंट, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
23- श्री आशीष कपूर, 35/5, गोखले मार्ग, लखनऊ।
24- श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, बी-14, गायत्री नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
25- श्री कैलाश अग्रवाल, 43/220, चौक सराफा, लखनऊ।
2- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में दो बार, प्रत्येक 6 माह में होगी। समिति की बैठक समान्यतया शासन के मुख्यालय पर की जायेगी। इस बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जायेगा।
(अ)- बेट अध्यादेश/अधिनियम व नियमावली के किसी प्रावधान से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयाँ तथा उसके निराकरण के उपाय।
(ब)- कर की दरों के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के आधार पर उत्पन्न कठिनाईयाँ तथा उसके निराकरण के उपाय।
(स)- विभागीय कर प्रणाली के सरलीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण के उपाय।
(द)- वाणिज्य कर विभाग तथा व्यापारियों की समस्याओं पर विचार तथा उसके निराकरण के उपाय।

3- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव शासन को संस्तुति के साथ निर्णयार्थ भेजे जायेंगे।

4- समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समय-समय पर प्रवृत्त नियमों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को देय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा। यह भत्ता उनके सामान्य निवास स्थान से समिति की बैठक हेतु निश्चित स्थान को की गयी यात्रा के सम्बन्ध में ही देय होगा तथा यदि रेलवे द्वारा वापसी यात्रा के रियायती टिकट दिए जाते हैं तो उस दशा में यात्रा भत्ता के रूप में केवल रियायती टिकट का वास्तविक मूल्य तथा निर्धारित दर पर प्रासंगिक व्यय देय होगा। आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता के बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारी होंगे तथा यात्रा भत्तों की धनराशि आहरित करके सदस्यों को भुगतान करेंगे।

5- समिति के गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा भत्ता पर होने वाला व्यय लेखा शीर्षक "2040-बिक्री-व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-व्यापार कर आयुक्त का अधिष्ठान-04-यात्रा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(क० चन्द्रमौलि)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1842 (1)/ग्यारह-2-2008 तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० शासन।

(3)

- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, जल उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर।
- 9- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- समिति के समस्त प्रतिनिधि संस्था एवं गैर सरकारी सदस्यों को।
- 11- वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(एस०सी० द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या-विधि-तीन(2)राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठन-1(2007-2008/ 1942 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // 19 फरवरी, 2008

शासन का उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1642/ग्यारह-2-2007-9(62)/97 दिनांक 30-1-08
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उनके सम्भाग से सम्बन्धित गैर सरकारी सदस्यों को समिति के गठन की सूचना अपने स्तर से उन्हें प्राप्त करा दें।
- 3- मैनुअल अनुभाग / सूचना केन्द्र मुख्यालय को पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 4- विधि तीन (2) पटल मुख्यालय को 25 प्रतियाँ।

(डा० आर० बी० श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।